

Northern Railway

No:- 220E/2-1 Re-engagement/2026(S&T)

Personnel Branch
Divisional Office
Lucknow
Dated-17-02-26

✓ The EDP Manager
Divisional Office
N.R, Lucknow

Subject- Regarding temporary re-engagement of retired signal cader employee from railway service of signal units of LKO division/Northern Railway on the basis of monthly wages in LKO division/Northern Rly.

Reference- This office Letter of even no. dated 17-02-26.

In reference to above, a copy of notification dated 17-02-26 regarding above subject is being sent herewith to your office for uploading on website of LKO division/N.R

D.A- As above

✓ 17/02/26
APO/LKO

उत्तर रेलवे

प.सं. 220E/2-1/Reengagement/2026 (S&T)

मण्डल कार्यालय
लखनऊ
दिनांक-17.02.26

अधिसूचना

विषय:- लखनऊ मंडल पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर उत्तर रेलवे/ लखनऊ मंडल के सिगनल यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त सिगनल संवर्ग के कर्मचारियों का अस्थाई पुनर्नियोजन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ (1) रेलवे बोर्ड का पत्र नं० E(NG)/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 , 31.12.2024.

इस कार्यालय के पत्र संख्या - E-002/2025/Policy /Reengagement (S&T)Dt. 04.11.25 के द्वारा S&T विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु जारी अधिसूचना प्रशासनिक कारणों से प्रारंभ (ab.initio) से निरस्त की जाती है।

रेलवे बोर्ड के पत्र सं० E(NG)/2024/RC-4/9 Dt. 15.10.2024 & 31.12.2024 के निर्देशानुसार उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के S&T विभाग में सभी यूनिटों से रेल सेवा से सेवानिवृत्त सिगनल संवर्ग के कर्मचारियों से निम्नलिखित पदों के विरुद्ध मासिक पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियोजन (Re-engagement) करने का निर्णय लिया गया है।

नई अधिसूचना हेतु पदों का विवरण निम्नवत है-

S. no.	Post	Pay Level	No. of Post
1	SSE/Sig	7	03
2	JE/Sig	6	05
3	Sr.Tech./Sig	6	05
4	Tech-I/Sig	5	05

लखनऊ मंडल के S&T विभाग के सभी यूनिटों से सेवानिवृत्त सिगनल संवर्ग के ऐसे कर्मचारी से, जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हों, संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा Annexure-A के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

उक्त पदों हेतु आवेदन करने के लिए पात्रता/शर्तें निम्न हैं:-

1. अधिसूचित पद से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं जिसके लिए आवेदन किया है।
2. ऐसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/ पदच्युत या सेवा से बरखास्त और संरक्षा संबंधित सेवानिवृत्त योजना (SRSS)/ संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्त योजना (LARSGESS) के अंतर्गत स्वेच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हों, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
3. आवेदन पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने पर ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
4. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पुनर्नियोजन 01 वर्ष की अवधि या अंग्रेजी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। यद्यपि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
6. पुनर्नियोजित किए जाने वाले कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/ उसकी अंतिम आहरित वेतन से पेंशनराशि घटाकर की जाएगी (Deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement) तथा वार्षिक वेतन वृद्धि महंगाई भत्ता एचआरए देय नहीं होगा।

1. निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
8. सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिन की दर से सैनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
9. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुनर्नियोजन हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजित से पूर्व व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। पुनर्नियोजित कर्मचारी डीएआर/ सतर्कता मामलों से भी मुक्त होना चाहिए।
10. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानांतरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
11. प्रशासन पुनः नियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के समान ही होंगे।
13. ऐसी पुनर्नियोजित की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा कि नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
14. पुनर्नियोजित कर्मचारी PLB या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
15. पुनर्नियोजित कर्मचारियों को इसीएस/पीडब्ल्यूए भुगतान के तहत किसी भी कवर के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
16. Gratuity अधिनियम या रेलवे सेवा के लिए स्वीकार्य कोई योजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
17. पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात् सी.जी.ए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
18. पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।
19. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो वह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारी से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
21. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा रेल सेवा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर बिना किसी नोटिस या Show Cause या Explanation के पुनर्नियोजित कर्मचारी सेवा को समाप्त किया जा सकता है।
22. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखेंगे कि आपका पुनर्नियोजन अस्थायी है।
23. पुनर्नियोजन रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पर पुनर्नियोजन से सम्बंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों, उपनियमों के तहत आपका पुनर्नियोजन संचालित होगा तथा आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
24. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/Sr. SUPERVISORS द्वारा उनके दिये निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
25. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पदस्थापना पर कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या पद अन्वयण के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो पुनर्नियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वअभिप्रेक्षित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए:-

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान ओदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल के S&T विभाग में सभी पूनियों से सेवानिवृत्त कर्मचारी, जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हैं एवं सहमत हैं, तो वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफॉर्म Annexure- A के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक 16.03.2026 तक इस कार्यालय में जमा करेंगे जिसमें लिफाफा पर सबसे ऊपर पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद का उल्लेख किया जाना है। दिनांक 16.03.2026 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता:-

CR अनुभाग

मंडल रेल प्रबंधक, कार्यालय

उत्तर रेलवे, हजरतगंज

लखनऊ

पिन- 226001

(विजय कुमार सोनकर)

कृते मंडल रेल प्रबंधक / कार्मिक

लखनऊ

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. मंडल रेल प्रबंधक के सचिव - मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मंडल रेल प्रबंधक के सचिव I, II एवं वाराणसी। अपर मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
3. प्रमुकाधि के सचिव - प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ ।
4. वरि. मंडल दूरसंचार अभियंता/समन्वय, महोदय के सादर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।
5. वरि. मंडल वित्त प्रबंधक/ EDPM -मंडल की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु ।
6. अध्यक्ष आरआरबी/प्रयागराज एवं चंडीगढ़ ।
7. मंडल सचिव /NRMU एवं URMU
8. मंडल सचिव /OBC एवं SC/ST एसो.
9. सूचना पट्ट ।

10. मुं० का० अधी० / सी० आर० अमु० / मंडल
कार्यालय / लखनऊ

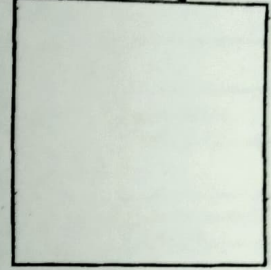
कृते मंडल रेल प्रबंधक / कार्मिक

लखनऊ

प्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर रेलवे हजरतगंज लखनऊ
226001

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रामिक पर पुनर्नियोजन हेतु आवेदन

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद
4. किस विभाग/यूनिट से सेवानिवृत्त हुए
5. जन्म तिथि
6. नियुक्ति तिथि
7. सेवानिवृत्ति तिथि
8. शैक्षणिक योग्यता
9. पे बेंड + ग्रेड पे/ पे लेवल (सेवानिवृत्ति के समय)
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि
11. पत्राचार का पता (पिन नम्बर सहित)
12. मोबाईल नम्बर
13. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं पे-लेवल.
14. बेसिक पेंशन
15. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कोटि
16. पी. पी.ओ. नम्बर



संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज-

1. सेवा प्रमाण पत्र
2. पेंशन पहचान पत्र
3. पेंशन भुगतान आदेश
4. अंतिम वेतन पर्ची
5. बैंक पासबुक की छायाप्रति
6. नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
7. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
8. शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि अधिसूचना में दिए गए निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूंगा / करूंगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical unfit for all categories से सेवानिवृत्त नहीं हुआ / हुई हूँ। बिना किसी पूर्व सूचना के बिना कोई स्पष्टीकरण या कारण बताए मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

सेवानिवृत्त कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक-